प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 24.05.2021

हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 21.05.2021 को थानाक्षेत्र उदयपुर के पिण्डरिया गांव निवासी नन्द लाल सरोज पुत्र धनपाल सरोज उम्र करीब 45 वर्ष नि0 पिड़रिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ जो रात में अपने खेत में फसल की रखवाली करने गये थे, सुबह उनका शव उनके ही खेत में लगे आम के पेड के सहारे लटका मिला था। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/21 धारा 302 भादवि का अभियोग मुन्ना सरोज व बजरंगी सरोज के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री आकाश तोमर द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में कल में दिनांक 24.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक उदयपुर श्री सत्येन्द्र कुमार राय मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र उदयपुर के ननौती तिराहे के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01. मुन्ना सरोज 02. बजरंगी सरोज पुत्रगण स्व0 बृजलाल सरोज नि0गण पेण्डरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. मुन्ना सरोज पुत्र स्व0 बृजलाल सरोज नि0 पेण्डरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. बजरंगी सरोज पुत्र स्व0 बृजलाल सरोज नि0 पेण्डरिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ को विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि सन् 2010 में खड़न्जा लगाने/जमीन के विवाद में नन्दलाल सरोज (मृतक) के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरे पिता बृजलाल सरोज की हत्या कर दी थी **(इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/10 धारा 302, 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत है, उक्त मुकदमें में मृतक नन्दलाल सरोज की गिरफ्तारी हुई थी जो वर्तमान में जमानत पर था)**। इसी कारण हम लोग उससे अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे, दिनांक 21.05.2021 को रात्रि में मौका पाकर नन्दलाल सरोज की हत्या कर शव को पेड़ के सहारे लटका दिये थे।

पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक उदयपुर श्री सत्येन्द्र कुमार राय मय हमराह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

- जनपद के थाना कोहड़ौर के उ0नि0 श्री विजय कुमारमय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के कांधरपुर तिराहा के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 314/20 धारा 376, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र रामकृपाल वर्मा नि0ग्राम गाजीपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 24.05.2021